

अतः संबंधित रैयत को दिनांक 12.1.18

को पूर्वाह्न 11:00 बजे सभी कागजात अचूक रूप से प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें अन्यथा बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (h) के तहत उक्त जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी ।

अंचल अधिकारी,
बानो।

20-7-21

संबंधित रैयत को पुनः सूचना देकर दिनांक 27-7-21 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सभी कागजात अचूक रूप से प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें अन्यथा झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी

(3) अंचल अधिकारी
20/7/21 बानो।

22/7/21

अभिलेख उपस्थापित नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। राजस्व उपनिरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भूमि का किराया - पहाड़ जंगल आदी है, सरकार के सचिव राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सांपांक 5/रा. भू. वि. वि. ध. 156/2016-6164/रा. संजी दिनांक 21.12.17 के उल्लेखित निर्देश के आलोक में संदेहास्पद जमाबंदी रद्द की जाती है।

अंचल अधिकारी
(3) अंचल अधिकारी
20/7/21 बानो।